

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 217/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00304)

1. रूपनारायण पुत्र रामभजा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम राणोली, तहसील सिकराय उप तहसील बहरावण्डा जिला दौसा राजस्थान।

– अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, बहरावण्डा, तहसील सिकराय जिला दौसा।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 28.06.2019 उनवानी अपील रूपनारायण बनाम राजस्थान सरकार अपील संख्या 23/2019 व निर्णय उप तहसीलदार जो बहरावण्डा दिनांक 10.09.2018 प्रकरण संख्या 69/2018 सरकार बनाम रूपनारायण अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट

उपस्थित-

1. श्री हेमराज गुर्जर, वकील अपीलान्त
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पों. नं. 1

निर्णय

दिनांक –26.07.2024


1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 28.06.2019 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ दिनांक 17.03.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा ने निर्णय दिनांक 10.09.2018 को ग्राम राणोली की आराजी भूमि खसरा नं० 157 रकबा 0.02 है० किस्म चरागाह पर काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्त को अतिक्रमण का दोषी मानते हुये बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्त ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2019 द्वारा खारिज कर दी गयी।
3. उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा दिनांक 10.09.2018 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 28.06.2019 से व्यथित होकर अपीलान्त्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा दिनांक 10.09.2018 तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 28.06.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्त के योग्य अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने अपीलान्त के अपील के तथ्यों व अपीलान्त के अधिवक्ता के तर्कों पर कोई विचार नहीं किया तथा उप तहसीलदार की पत्रावली का भी भली प्रकार से अवलोकन नहीं किया। अधीनस्थ तहसीलदार की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा करने में कानूनी गलती की थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने इस महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य पर कोई

विचार नहीं किया। अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई। बिना प्रदर्शित हुये उक्त रिपोर्ट साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं थी व पढे जाने योग्य नहीं थी। उसके आधार पर किया गया निर्णय अवैधानिक था इस तथ्य पर भी अधिनस्थ अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कोई गौर न कर अपील खारिज करने में कानूनी गलती की है। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य दिया था कि अपीलान्ट की विधिवत तामील भी नहीं हुई तथा अपीलान्ट को समुचित रूप से कोई सुनवाई सबूत का मौका नहीं दिया। जबकि सजा जैसे मुकदमें में पूर्ण सुनवाई का मौका मिलना चाहिए परन्तु अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने इस तथ्य पर भी कोई विचार नहीं किया। अपीलान्ट ने किसी भी सरकार भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया न काश्त की। तहसीलदार ने अपने निर्णय में काश्त करना व अतिक्रमण करना बताया है। जबकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने आवास व बाडा बनाना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर न उप तहसीलदार के निर्णय को देखा ही नहीं व पत्रावली का अवलोकन ही नहीं किया। दोनों न्यायालय का निर्णय अवैधानिक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ए.डी.एम. दौसा में अपीलान्ट ने अपना अधिवक्ता श्री गोवर्धन गुर्जर को नियुक्त कर रखा था तथा उन्हें ही हिदायत पैरवी कर रखी थी तथा उन्होंने आश्वासन दे रखा था कि प्रकरण का जब भी निर्णय हो जावेगा तथा सूचना दे दी जावेगी। परन्तु उक्त अधिवक्ता द्वारा निर्णय की अपीलान्ट को सूचना नहीं दी तथा अपीलान्ट निर्णय के रोज उपस्थित भी नहीं था इसलिए अपीलान्ट को अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। अब दिनांक 4.3.20 को अपीलान्ट ने अपने पूर्व अधिवक्ता से अपील के संबंध में जानकारी की तो उन्होंने बताया कि उक्त अपील का फैसल दिनांक 28.06.2019 को हो गया व अपील खारिज हो गई। इस जानकारी पर अपीलान्ट ने तलाश कर नकल का प्रार्थना पत्र दिनांक 4.3.20 को प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 5.3.2020 को प्राप्त हुई। इसलिए यह द्वितीय अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। तथा न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी क्षमा की जाने योग्य है। इसलिए दफा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र कर अपील पेश करने में हुई देरी माफ किये जाने व कण्डोन किया जाना आवश्यक है तथा देरी माफ फरमाते हुये अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जाना न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है अपील स्वीकार फरमाई जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 28.06.2019 व उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय का निर्णय दिनांक 10.09.2018 निरस्त किया जावे।


6. रेस्पोंडेन्ट नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट ने संवत् 2075 में ग्राम राणोली में स्थित आराजी खसरा नं. 157 रकबा 0.02 है० किस्म चरागाह पर काश्त कर एवं आवास व बाडा बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 10.09.2018 को बेदखल करने एवं 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपीलांट नियत तारीख पेशी पर अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। अतः अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई/जिरह का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 05.03.2020 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र

में प्रस्तुत की गई। गिरदावर के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट में राजकीय चारागाह भूमि पर आवास व बाड़ा निर्माण कर अतिक्रमण करना व पश्चातवर्ती अतिक्रमी अंकित किया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर भी अंकित है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट को दिनांक 10.08.2018 को नोटिस तामील हुआ है। नोटिस तामील होने के उपरांत अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.08.2018 को उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर नहीं दिया गया। साथ ही रिपोर्ट की कैंफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने संवत् 2075 में ग्राम राणोली में स्थित आराजी खसरा नं. 157 रकबा 0.02 है० किस्म चारागाह पर आवास बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है, जबकि कानून राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। अपीलान्ट द्वारा उक्त राजकीय चारागाह भूमि पर संवत् 2075 के समय से अतिक्रमण किया था। जिसे बेदखल करने के पश्चात् पुनः चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को रोकने एवं अकुशं लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2019 को यथावत रखा जाता है।


(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 26.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर